भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2129

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में चेक बाउंस के मामले

2129. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, दिल्ली के जिला न्यायालयों और विशेषकर पटियाला हाउस कोर्ट (नई दिल्ली जिला) में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अधिनियम की धारा 143 के तहत छह महीने के भीतर इसके त्वरित निपटान के विधायी आदेश के बावजूद, पटियाला हाउस कोर्ट में चेक बाउंस के एक मामले के अंतिम निपटान के लिए आवश्यक सुनवाइयों की औसत संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अदालत में कुल पंजीकृत मामलों में से ऐसे लंबित मामलों के प्रतिशत के संबंध में कोई डेटा तैयार किया है जिनमें तीन या अधिक सुनवाइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं ;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट्स की डिजिटल एन.आई. अधिनियम अदालतों में प्रति माह सूचीबद्ध होने वाले मामलों की औसत संख्या और हर महीने निपटाए जाने वाले मामलों का प्रतिशत क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार इन डिजिटल एन.आई. अधिनियम अदालतों के न्यायाधीशों के हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए स्थानांतरण के बाद मामलों की मासिक निपटान दर पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली के जिला न्यायालयों में विशिष्टितया पटियाला हाउस न्यायालय (नई दिल्ली जिला) में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन चेक बाउंस के लंबित मामलों की कुल संख्या **उपाबंध** पर है ।

(ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, पटियाला हाउस न्यायालय में लगभग 30-40 सुनवाइयां चेक बाउंस के मामलों के अंतिम निपटान के लिए अपेक्षित हैं ।

(ग) : सभी प्रकार के लंबित मामलों से संबंधित डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर मामला-वार के साथ-साथ आर्डर शीट सहित उपलब्ध है ।

(घ) : माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अपने आदेश सं.46/डीएचसी/जीएजेड.-आईआईबी/जी-7/VI.ई.2(ए)/2025, तारीख 18 नवंबर, 2025 के द्वारा डिजिटल परक्राम्य लिखित अधिनियम न्यायालय जो राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर में पटियाला हाउस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन कार्यात्मक थे, को समाप्त कर दिया है । लंबित मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के भौतिक न्यायालयों में अंतरित कर दिए गए हैं ।

(ङ) : मामलों का निपटान अनन्य रुप से न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है । इसके अतिरिक्त, डिजिटल परक्राम्य लिखत अधिनियम न्यायालयों के न्यायाधीशों का राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर में स्थानांतरण के अनुसरण में मामलों के निपटान की दर पर समाघात का अध्ययन नहीं किया गया है ।

उपाबंध

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2129 में निर्दिष्ट कथन जिसका उत्तर 31.07.2026 को दिल्ली के न्यायालयों में चेक बाउंस के मामलों के संबंध में दिया जाना है ।

क्र. सं.	दिल्ली के जिला न्यायालय	चेक बाउंस के लंबित मामलों की संख्या
	केंद्रीय (तीस हज़ारी न्यायालय परिसर)	48061
	पूर्व (कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर)	16844
3.	नई दिल्ली (पटियाला हाउस न्यायालय परिसर)	94663
4.	उत्तर (रोहिणी न्यायालय परिसर)	16199
5.	उत्तर पूर्व (कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर)	6844
6.	उत्तर पश्चिम (रोहिणी न्यायालय परिसर)	28483
7.	शहादरा (कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर)	13705
8.	साउथ (साकेत न्यायालय परिसर)	28612
9.	दक्षिण पूर्व (साकेत न्यायालय परिसर)	53269
10.	दक्षिण पश्चिम (द्वारका न्यायालय परिसर)	113898
11.	पश्चिम (तीस हज़ारी न्यायालय परिसर)	21502
	कुल	**442080**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)
